15/06/23 पत्रावली आज पेश हुई। वादी के वकील अनुपस्थित। वादी अनुपस्थित। वादी के मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गईं। आवाज देने के बाद भी वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त उनवान प्रकरण वादी को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय तुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी